भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 102

22.07.2024 को उत्तर के लिए

पारिस्थितिकी रुप से संवेदनशील क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास

102. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारिस्थितिकी रुप से संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए कोई पहल की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान चल रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) संरक्षित क्षेत्रों अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर और दिनांक 09 फरवरी, 2011 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 'पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) की घोषणा हेतु दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाती है। ईएसजेड घोषित करने का उद्देश्य विशेष पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे संरक्षित क्षेत्रों या अन्य प्राकृतिक स्थलों के लिए एक प्रकार का "शॉक एब्जॉर्बर" बनाना है और इसका प्रयोजन उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करना है। ईएसजेड निषेधात्मक प्रकृति के बजाय नियामक प्रकृति के होते हैं, जब तक कि या अन्यथा अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न किया गया हो। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की

घोषणा में ईएसजेड के भीतर रहने वाले स्थानीय समुदाय के व्यवसाय जिसमें कृषि गतिविधियाँ, घर निर्माण आदि शामिल हैं, पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है।

ईएसजेड अधिसूचनाओं में अधिसूचना के प्रकाशन के दो वर्ष के भीतर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार करना अनिवार्य है। यह योजना पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के भीतर विकास को विनियमित करने और अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय मास्टर प्लान में पर्यटन मास्टर प्लान और ईएसजेड के भीतर स्थित मानव निर्मित या प्राकृतिक संरचनाओं को सूचीबद्ध करने वाले विरासत स्थलों को शामिल करना भी अनिवार्य है, ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा में सहायता करने के लिए पर्यटन गतिविधियों को संधारणीय तरीके से सुविधाजनक बनाया जा सके और साथ ही संरक्षण और संधारणीय विकास के बीच संतुलन बनाया जा सके।

***